

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 404/2023

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

राकेश पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

राय सिंह पुत्र श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)

उग्रसैन पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

रशमी पुत्री श्री राय सिंह पत्नी श्री रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद बेगांवाली, जण्डवाला खरता तहसील
व जिला फाजिल्का(पंजाब)

4. रेवान्त पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
5. मीनल पुत्री श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
6. प्रज्जवल पुत्र श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. भीमसैन पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. उर्मिला पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री राजपाल जाति जाट निवासी नाथवाना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद पुरानी आबादी श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर(राज.)
9. सन्तोष पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद रामसरा तहसील अबोहर
जिला फाजिल्का(पंजाब)
10. राहुल पुत्र श्री भीमसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
11. प्रियंका पुत्री श्री भीमसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
12. शकीला पत्नी स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. अभिषेक पुत्र स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. आकांक्षा पुत्री स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. कलावती पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. पंजाब नैशनल बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
17. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

वादी राकेश ने प्रतिवादीगण राय सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 98/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के नाम से 41.309 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 4.554 है। कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है, इसी प्रकार चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के नाम से 49.282 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 23.782 है। कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है तथा इसी प्रकार चक 9 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के नाम से 49.282 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 20.999 है। कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 3,5,8,9,11,14 व 15 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12 व 13 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। इसलिये प्रतिवादी सं. 3,5,8,9,11,14 व 15 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12 व 13 को बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि निम्न प्रकार से प्राप्त हुई है :-

(क) वादी राकेश पुत्र श्री राय सिंह, प्रतिवादी सं. 1,2,4 व 6 क्रमशः राय सिंह पुत्र श्री सुल्तानराम, उग्रसैन पुत्र श्री राय सिंह, रेवान्त पुत्र श्री उग्रसैन एवं प्रज्जवल पुत्र श्री राकेश कुमार(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं प्रतिवादी सं. 7,10,12 व 13 क्रमशः भीमसैन पुत्र श्री विजय सिंह, राहुल पुत्र श्री भीमसैन, शकीला पत्नी स्व. श्री रणवीर एवं अभिषेक पुत्र स्व. श्री रणवीर(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 98/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

155/176 24 23,24,25/0.253 है.प्र.

155/177 39 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6,7,8,13 ता 18,23,24,25/0.253 है.प्र.

नहरी 4.479 है., गै.मु. रास्ता 0.075 है., कुल 4.554 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

- 160/180 7 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,13,14/0.253 है.प्र.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17,18,21ता24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
- 160/181 19 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17ता24/0.253 है.प्र.,25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
- 160/182 24 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,13,14/0.253 है.प्र.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है.



- 161/178 1 1,2,3,7ता14,16ता20/0.253 है.प्र.
- 161/180 8 21/0.253 है.
- 161/181 18 1ता4,7ता14,17ता23/0.253 है.प्र.
- 161/182 25 1/1/0.202 है., 1/2/0.025 है., 1/3/0.026 है.,
2/1/0.202 है., 2/2/0.025 है., 2/3/0.026 है.,
3/1/0.202 है., 3/2/0.025 है., 3/3/0.026 है.,
9,10,11/0.253 है.प्र.

नहरी 10.703 है., गै.मु. खाला 0.401 है., बारानी 12.475 है., गै.मु. रास्ता 0.203 है., कुल 23.782 है. मय गै.मु. कृषि भूमि चक 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

- प.नं. मु.नं. कि.नं.
- 156/177 43 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6ता25/0.253 है.प्र.
- 157/177 42 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
10,11,20,21/0.253 है.प्र.
- 158/177 41 16,17,24,25/0.253 है.प्र.
- 158/178 46 4ता7/0.253 है.प्र.
- 160/177 39 6,7,11ता25/0.253 है.प्र.
- 160/178 48 1ता15/0.253 है.प्र.

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी-4
संगरिया

161/177 38 10,11,12,18ता23/0.253 है.प्र

नहरी 20.749 है., गै.मु. रास्ता 0.250 है., कुल 20.999 है. मय गै.मु. नहरी कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 15 टाल मटोल करते रहे, अंततः गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीजेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 15 के द्वारा सहमति का जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया जो कि बाद तर्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 16 के द्वारा बैंक हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित करने का निवेदन किया, प्रतिवादी सं. 17 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 98/48 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74, चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 एवं चक 9 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 संयुक्त खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 15 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 98/48 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के नाम से 41.309 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 4.554 है. कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है, इसी प्रकार चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के नाम से 49.282 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 23.782 है. कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है तथा इसी प्रकार चक 9 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्बत् 2073-76 में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,13 एवं मृतक रणवीर व चावली के

लगातार --5

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

नाम से 49.282 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है लेकिन उक्त खाता की 20.999 है। कृषि भूमि ही कब्जाकाशत में है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 15 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 15 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी राकेश पुत्र श्री राय सिंह, प्रतिवादी सं. 1,2,4 व 6 क्रमशः राय सिंह पुत्र श्री सुल्तानराम, उग्रसैन पुत्र श्री राय सिंह, रेवान्त पुत्र श्री उग्रसैन एवं प्रज्जवल पुत्र श्री राकेश कुमार(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं प्रतिवादी सं. 7,10,12 व 13 क्रमशः भीमसैन पुत्र श्री विजय सिंह, राहुल पुत्र श्री भीमसैन, शकीला पत्नी स्व. श्री रणवीर एवं अभिषेक पुत्र स्व. श्री रणवीर(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

प.नं. मु.नं. कि.नं. 98/48 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

155/176 24 23,24,25/0.253 है.प्र.
155/177 39 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6,7,8,13ता18,23,24,25/0.253 है.प्र.

नहरी 4.479 है., गै.मु. रास्ता 0.075 है., कुल 4.554 है. मय गै.मु. कृषि भूमि चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.
160/180 7 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,13,14/0.253 है.प्र.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17,18,21ता24/0.253 है.प्र.,
25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
160/181 19 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,
17ता24/0.253 है.प्र.,25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.
160/182 24 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.,
6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
7,8,13,14/0.253 है.प्र.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है.

- 161/178 1 1,2,3,7ता14,16ता20/0.253 है.प्र.
161/180 8 21/0.253 है.
161/181 18 1ता4,7ता14,17ता23/0.253 है.प्र.
161/182 25 1/1/0.202 है., 1/2/0.025 है., 1/3/0.026 है.,
2/1/0.202 है., 2/2/0.025 है., 2/3/0.026 है.,
3/1/0.202 है., 3/2/0.025 है., 3/3/0.026 है.,
9,10,11/0.253 है.प्र.

नहरी 10.703 है., गै.मु. खाला 0.401 है., बारानी 12.475 है., गै.मु. रास्ता
0.203 है., कुल 23.782 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 9 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76
प.नं. मु.नं. कि.नं.

- 156/177 43 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6ता25/0.253 है.प्र.
157/177 42 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
10,11,20,21/0.253 है.प्र.

- 158/177 41 16,17,24,25/0.253 है.प्र.
158/178 46 4ता7/0.253 है.प्र.
160/177 39 6,7,11ता25/0.253 है.प्र.
160/178 48 1ता15/0.253 है.प्र.
161/177 38 10,11,12,18ता23/0.253 है.प्र.

नहरी 20.749 है., गै.मु. रास्ता 0.250 है., कुल 20.999 है. मय गै.मु.
नहरी कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12 व 13 के नाम से कृषि
भूमि दर्ज की जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12 व 13 का खाता
अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम किया जाकर मृतक
रणवीर व चावली का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल
दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से
कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 3-5-2024 को मेरे द्वारा
लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
मैजिस्ट्रेट कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संभारिया

डिक्री एवं मुकदमें इस्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 404/2023

राकेश पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- यादी

बनाम्

राय सिंह पुत्र श्री सुल्तानराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

शमी पुत्री श्री राय सिंह पत्नी श्री रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद बेगांवली, जण्डवाला खरता तहसील व जिला
फाजिल्का(पंजाब)

देवान्त पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

मीनल पुत्री श्री उग्रसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

प्रज्जवल पुत्र श्री राकेश कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

मीमसैन पुत्र श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

इर्मिला पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री राजपाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व
जिला श्रीगंगानगर(राज.)

सन्तोष पुत्री श्री विजय सिंह पत्नी श्री रविन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) हाल आबाद रामसरा तहसील अबोहर जिला
फाजिल्का(पंजाब)

सदल पुत्र श्री भीमसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

प्रियंका पुत्री श्री भीमसैन जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

शकीला पत्नी स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

अभिषेक पुत्र स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

शान्दा पुत्री स्व. श्री रणवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

पल्लवती पत्नी श्री विजय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

पंजाब नेशनल बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 3-5-2024

लगातर --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन श्री महावीर बेरड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 15 मिन जानिब मुदायला पेश होकर मिन दिया जाता हैं व यह डिग्री दी जाती है कि:-
श्री राकेश पुत्र श्री राय सिंह, प्रतिवादी सं. 1,2,4 व 6 क्रमशः राय सिंह पुत्र श्री रमानराम, उग्रसैन पुत्र श्री राय सिंह, रेवान्त पुत्र श्री उग्रसैन एवं प्रज्जवल पुत्र श्री राकेश कुमार(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) एवं प्रतिवादी सं. 7,10,12 व 13 क्रमशः भीमसैन श्री विजय सिंह, राहुल पुत्र श्री भीमसैन, शकीला पत्नी स्व. श्री रणवीर एवं शिषेक पुत्र स्व. श्री रणवीर(1/2 हिस्सा ब.हि.ब.) समस्त जाति जाट निवासीगण यवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का

विवरण :-

क 7 एम.जे.डी. खाता सं. 98/48 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

55/176 24 23,24,25/0.253 है.प्र.

55/177 39 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6,7,8,13ता18,23,24,25/0.253 है.प्र.

नहरी 4/24/79 है., गै.मु. रास्ता 0.075 है., कुल 4.554 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

क 5 एम.जे.डी. खाता सं. 5/5 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

160/180 7 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7,8,13,14/0.253 है.प्र.,

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17,18,21ता24/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

160/181 19 1ता4/0.253 है.प्र., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17ता24/0.253 है.प्र.,25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

160/182 24 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,

2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,

3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,

4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,

5/1/0.202 है., 5/2/0.025 है., 5/3/0.026 है.,

6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

7,8,13,14/0.253 है.प्र.,

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17/0.253 है.

161/178 1 1,2,3,7ता14,16ता20/0.253 है.प्र.

161/180 8 21/0.253 है.

161/181 18 1ता4,7ता14,17ता23/0.253 है.प्र.

161/182 25 1/1/0.202 है., 1/2/0.025 है., 1/3/0.026 है.,

2/1/0.202 है., 2/2/0.025 है., 2/3/0.026 है.,

3/1/0.202 है., 3/2/0.025 है., 3/3/0.026 है.,

9,10,11/0.253 है.प्र.

संगरिया कलेक्टर एवं
संगरिया जिला
संगरिया

10.703 है., गै.मु. खाता 0.401 है., बारानी 12.475 है., गै.मु. रास्ता 0.
कुल 23.782 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 58/52 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76

मु.नं. कि.नं.

66/177 43 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
6ता25/0.253 है.प्र.

57/177 42 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,
2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,
3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है.,
4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.,
10,11,20,21/0.253 है.प्र.

158/177 41 16,17,24,25/0.253 है.प्र.

158/178 46 4ता7/0.253 है.प्र.

160/177 39 6,7,11ता25/0.253 है.प्र.

160/178 48 1ता15/0.253 है.प्र.

161/177 38 10,11,12,18ता23/0.253 है.प्र.

नहरी 20.749 है., गै.मु. रास्ता 0.250 है., कुल 20.999 है. मय गै.मु. नहरी कृषि
भूमि

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12व13 के नाम से कृषि भूमि दर्ज
की जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2,4,6,7,10,12व13 का खाता अलग से कायम
किया जाकर रकमराज अलग से कायम किया जाकर मृतक रणवीर व चावली का नाम
कलमजान किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबतX.....
निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
वसूलयावी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 3.5.2024 को
जाही किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (सिजस्व),
संगरिया